न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 160/2023

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

टीकमाराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकाम—

1. हुकमाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी नारायणपुर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. तहसीलदार सिणधरी
2. कुम्भाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी नारायणपुर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक— 13.01.2026

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 131/4 रकबा 6.6176 हैक्टेयर का खेत ग्राम नारायणपुर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसीलदार सिणधरी में अवस्थित है, जिसकों पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 06.08.2013 को विभाजन करवाकर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसको राजस्व रेकर्ड का डिजीटल ऑनलाइन करते समय उक्त खसरे की स्थिति में बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम को कर दिया गया और जहां पर प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 131/4 है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई का विवरण नजरी नक्शे अनुसार बताया गया है जिसको तरमीम करने के दौरान विभाजन प्रस्ताव से हटकर विपरित लट्ठा ट्रैस में कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। विप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 131/4 रकबा 6.6176 हैक्टेयर का खेत ग्राम नारायणपुर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसीलदार सिणधरी में अवस्थित है, जिसकों पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 06.08.2013 को विभाजन करवाकर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसको राजस्व रेकर्ड का डिजीटल ऑनलाइन करते समय उक्त खसरे की स्थिति में बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम को कर दिया गया और जहां पर प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 131/4 है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई का विवरण नजरी नक्शे अनुसार बताया गया है जिसको तरमीम करने के दौरान विभाजन प्रस्ताव से हटकर विपरित लट्ठा ट्रैस में कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 131/4 रकबा 6.6176 हैक्टेयर का खेत ग्राम नारायणपुर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है, जिसकों पक्षकाराने के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 06.08.2013 को विभाजन करवाकर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसको राजस्व रेकर्ड का डिजीटल ऑनलाइन करते समय उक्त खसरे की स्थिति में बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम को कर दिया गया और जहां पर प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 131/4 है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई का विवरण नजरी नक्शे अनुसार बताया गया है जिसको तरमीम करने के दौरान विभाजन प्रस्ताव से हटकर विपरित लट्ठा ट्रैस में कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

से विपरित स्थान पर है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 131/4 रकबा 6.6176 हैक्टेयर का खेत ग्राम नारायणपुर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी